भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3193
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

अनाथालयों की स्थिति

3193. **श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार अनाथालयों की संख्या और उनमें रहने वाले बच्चों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनाथालयों की पहचान करने के लिए कोई कदम उठाया है;
(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार, वर्षवार कितने अनाथालयों की पहचान की गई है;
(घ) क्या सरकार का अनाथालयों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए कोई नई योजना शुरू करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) को क्रियान्वित कर रहा है जो देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरुरत को पूरा करके देखभाल और संरक्षण की आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक कानून है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' को क्रियान्वित कर रहा है ताकि सीएनसीपी एवं सीसीएल श्रेणी के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं दोनों शामिल हैं। यह योजना देखभाल और

संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में सामाजिक रूप से पुन:शामिल करने के लिए सेवाएँ प्रदान करती है।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य कार्यों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्चात देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बाल देखभाल संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत संस्थागत देखभाल के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक -I

अनाथालयों की स्थिति के संबंध में श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा दिनांक 13.12.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3193 के भागों (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बाल देखभाल संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	92	84	98	98
2	अरुणाचल प्रदेश	8	11	11	14
3	असम	64	67	60	84
4	बिहार	80	78	89	107
5	छत्तीसगढ़	85	83	85	110
6	गोवा	23	25	25	22
7	गुजरात	81	78	76	93
8	हरियाणा	50	49	31	31
9	हिमाचल प्रदेश	37	38	31	59
10	जम्मू और कश्मीर	16	39	55	71
11	झारखंड	50	50	49	60
12	कर्नाटक	164	154	154	212
13	केरल	41	47	45	45
14	मध्य प्रदेश	103	104	101	131
15	महाराष्ट्र	107	112	107	126
16	मणिपुर	81	86	86	91

17	मेघालय	52	54	54	61
18	मिजोरम	49	49	60	67
19	नागालैंड	43	44	44	57
20	उड़ीसा	130	140	135	143
21	पंजाब	25	27	27	42
22	राजस्थान	159	156	141	182
23	सिक्किम	22	23	23	28
24	तमिलनाडु	225	221	320	318
25	तेलंगाना	56	62	63	92
26	त्रिपुरा	33	34	31	41
27	उत्तर प्रदेश	104	100	108	245
28	उत्तराखंड	32	33	36	46
29	पश्चिम बंगाल	137	164	207	216
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	10	10	10
31	चंडीगढ़	8	8	9	9
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4	4	4	5
33	लद्दाख	0	1	7	13
34	लक्षद्वीप	1	1	0	0
35	दिल्ली	42	39	39	51
36	पुद्दुचेरी	29	30	29	30
	कुल	**2245**	**2305**	**2450**	**3010**

अनुलग्नक-II

अनाथालयों की स्थिति के संबंध में श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा दिनांक 13.12.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3193 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत संस्थागत देखभाल के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	3069	1504	1546
2	अरुणाचल प्रदेश	147	206	206
3	असम	1378	1380	1241
4	बिहार	2372	2088	2227
5	छत्तीसगढ़	2167	1974	1843
6	गोवा	685	526	461
7	गुजरात	1299	1651	3195
8	हरियाणा	1786	1239	963
9	हिमाचल प्रदेश	1147	805	926
10	जम्मू और कश्मीर	579	817	1104
11	झारखंड	1537	1219	1238
12	कर्नाटक	3974	3182	3110
13	केरल	1380	697	776
14	मध्य प्रदेश	2982	2292	2597
15	महाराष्ट्र	3468	3654	3495
16	मणिपुर	1980	2121	2295
17	मेघालय	915	972	1031

18	मिजोरम	776	914	1172
19	नागालैंड	597	493	562
20	उड़ीसा	7077	4153	4431
21	पंजाब	685	607	533
22	राजस्थान	3670	2560	2733
23	सिक्किम	534	526	468
24	तमिलनाडु	13877	7785	10118
25	तेलंगाना	2822	1129	2243
26	त्रिपुरा	875	829	948
27	उत्तर प्रदेश	4722	3238	3226
28	उत्तराखंड	457	700	589
29	पश्चिम बंगाल	6494	6220	4744
30	अंडमान और निकोबार	301	308	274
31	चंडीगढ़	153	202	222
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5	28	36
33	लद्दाख	0	25	84
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	दिल्ली	1835	1206	1216
36	पुद्दुचेरी	373	690	739
	कुल	**76118**	**57940**	**62592**

वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष के समान ही बच्चों को सहायता दी जा रही है।

*****